प्रेस नोट

दिनांक 03.09.2026

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

थाना खोडारे पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 225/2026 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार को घारीघाट तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2026 को थाना खोडारे क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक महिला द्वारा थाना खोडारे पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी भतीजी को विपक्षी रवि कुमार द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना खोडारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यो के आधार पर अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी हुई थी। जिसमें आज दिनांक 03.09.2026 को थाना खोडारे पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार को घारीघाट तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम घारीघाट चौथी बनकटवा थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 225/2026 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना खोडारे, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 रामेश्वर पाण्डेय
2. हे0क0 शैलेष कुमार यादव
3. हे0का0 अजय कुमार यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03.09.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

थाना परसपुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 198/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त भीम सिंह उर्फ शिव पूजन को पचईपुरवा तिराहा थाना परसपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.05.2026 को थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 03.09.2026 को थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी भीम सिंह उर्फ शिव पूजन को पचईपुरवा तिराहा थाना परसपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भीम सिंह उर्फ शिव पूजन सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम चोपपुरवा आटा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 198/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 आकाश दीप
2. का0 राहुल कुमार
3. म0का0 सीमा वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03.09.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

थाना नवाबंगज पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0-171/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)(m), 65(1) बीएनएस 5(j)(2)/6, 5(i)/6, 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अजय कुमार उर्फ अभिषेक पुत्र राजेश कुमार को वीरपुर नवाबगंज जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार किया गया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.05.2026 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक महिला द्वारा थाना नवाबगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को अजय पुत्र राजेश द्वारा शादी करने की नीयत से बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यो के आधार पर अभियोग में धारा 64(2)(m), 65(1) बीएनएस 5(j)(2)/6, 5(i)/6, 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी हुई थी। जिसमें आज दिनांक 03.09.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त अजय कुमार उर्फ अभिषेक पुत्र राजेश कुमार को वीरपुर नवाबगंज जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार किया गया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय कुमार उर्फ अभिषेक पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम अर्जुनपुरवा मौजा जलालपुर थाना नवाबगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-171/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)(m), 65(1) बीएनएस 5(j)(2)/6, 5(i)/6, 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी
2. हे0का0 सौरभ सिंह
3. का0 शैलेन्द्र दूबे

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03.09.2026

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी कजरी तीज पर्व की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। त्योहार को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 03.09.2026 को जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा आगामी कजरी तीज पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़, मंदिरों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, महिला एवं बाल सुरक्षा, विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कजरी तीज पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी प्रमुख मंदिरों एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रभावी बैरिकेडिंग एवं सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने, पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने तथा आवश्यकता के अनुसार यातायात डायवर्जन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा के दृष्टिगत प्रमुख स्थानों पर लगातार पुलिस गश्त एवं प्रभावी निगरानी रखने तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु महिला पुलिस कर्मियों की पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगाने तथा महिला सुरक्षा संबंधी टीमों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। आपात स्थिति से निपटने हेतु पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित रखने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पर्व के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली भ्रामक एवं अफवाहपूर्ण सूचनाओं पर सतर्क निगरानी रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। धार्मिक स्थलों एवं आयोजन स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरतते हुए असामाजिक एवं अराजक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखने तथा किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए गए। साथ ही आयोजकों एवं संबंधित व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर पर्व को आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने को कहा गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।

मीडिया सेल, गोण्डा।